

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(8)2018 / कार्मिक / प्रमुवस /

दिनांक अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक गण द्वारा विशेष परिस्थिति में स्वयं के स्तर से कार्य व्यवस्था अथवा अन्य कारणों से अधीनस्थ वन कर्मियों (क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम/द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों) के स्थानान्तरण/पदस्थापन कर दिये जाते हैं। अतः समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ वन कर्मियों (क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम/द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों) के स्थानान्तरण/पदस्थापन की प्रति इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें। ताकि इस कार्यालय में पदस्थापन संबंधि संधारित रिकोर्ड में इन्द्राज किया जा सके।

(सी.एस.रत्नासामी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 06 अगस्त, 2018

क्रमांक एफ 2(8)2018 / कार्मिक / प्रमुवस / 2138-2250

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/भू-संरक्षण, जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर /सिल्वा, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/एफपीआर, जयपुर /आरवीपी, कोटा
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा/उदयपुर/जोधपुर/क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का/क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर।
5. समस्त उप वन संरक्षक।
6. रक्षित पत्रावली।

(कुमार स्वामी गुप्ता)
उप वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर